पुनि 04930/2018/सतना/भू

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

कृष्णकान्त गौत --आवेदक

बनाम

शूलपणि गौतम --- अनावेदक

आवेदक अधिभाषक श्री प्रदीप त्रिपाठी एड. द्वारा पेश। 8.8.18

आवेदन पत्र अन्तर्गत प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बावत्

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है:–

1'– यह कि उक्त प्र0 माननीय न्यायालय में दिनांक 18/07/18 को नियत था।

2– यह कि उक्त प्रकरण में आवेदक/ अधिवक्ता द्वार दायरा तर्क किया गया था लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकरण में धारा 5, धारा 52 के आवेदन संलग्न नही है उन समस्त प्रकरणों को दायरा तर्क में स्वीकार कर लिया गया हैं, जिसकी लिस्ट बाहर चस्पा हैं अधिवक्तागण देख सकते हैं,

3– यह कि माननीय न्यायालय के कथनानुसार दायरा तर्क में स्वीकार होने वाली लिस्ट चस्पा थी जिमसें आवेदक का प्रकरण दायरा में स्वीकार होने वाली लिस्ट में दर्ज था।

04– यह कि सहवन भूलबस जो प्रोफर्मा दायरा में स्वीकार होने वाले व अदम पैरवी में निरस्त होने वाले अलग–अलग थे, वे भूल बस अदम पैरवी में निरस्त होने वाला प्रोफर्मा आवेदक के फाईल में लग गया, जिस कारण आवेदक की फाइल अदम पै. रवी में निरस्त कर दी गई।

5– यह कि उक्त प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक के प्रकरण को पुर्नस्थपित किया जाना न्यायोचित है।

अस्तु विनय है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 2988/2018 भू राजस्व कृष्णकान्त गौतम बनाम शूलपणि गौतम को पुर्नस्थापित किया जाकर गुण दोष पर सुनवाई किये जाने

कृष्णकांत गौतम / शूलपाणि गौतम
पुनर्स्थापन / 4930 – ललना / 18

(6) (30)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
23.8.18.	1- आवेदक की ओर से श्री प्रदीप त्रिपाठी एड० उप०। 2- आवेदक द्वारा यह आवेदन संहिता की धारा 35(3) के तहत मूल प्रकरण क्रमांक R-2988/ ललना/18 अदम पैरवी दिनांक 18.7.18 को पुनः नम्बर में लिये जाने हेतु पेश किया गया है। आवेदक अभिभाषक को पुनर्स्थापन पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा पुनर्स्थापन आवेदन समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया है अतः न्यायहित में मूल प्रकरण क्रमांक R.2988-ललना/18 पुनः नम्बर में लिया जाता है। मूल प्रकरण नम्बर में लिया जावे। 3. यह प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा०द० हो। सदस्य,	